

### प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन पर वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक की अवधि के निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित किया गया है।

वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि में नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये मामलों को उल्लिखित किया गया है, साथ ही वर्ष 2023-24 के बाद के मामलों को भी सम्मिलित किया गया है, जहाँ आवश्यक रहा हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित की गई है।